

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक— शिविरा / माध्यम / लेखा / की-२ / २८०११ / १८-१९

दिनांक २९.११.२०१८

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक मुख्यालय ।

अधि-आवश्यक

विषय:— भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा-९ की छात्राओं को ग्रिन्हन साइकिल
वितरण के सम्बन्ध में दी गई सहमति के अनुसार वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित
करने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :—राजस्थान सरकार शिक्षा (युप-१) पाठ्यक एक. १(१) शिक्षा-१/२००९ पार्ट-४ दिनांक
२९.११.१८

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार शिक्षा (युप-१) पाठ्यक एक. १(१)
शिक्षा-१/२००९ पार्ट-४ दिनांक २९.११.१८ के काम में निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार के पात्र क्रमांक ५.३ (१)
(१५)१/निर्वा/२०१८/११४३७ जयपुर दिनांक २८.११.२०१८ के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग, नहीं दिल्ली द्वारा
अपने पत्र क्रमांक— ४३७/आर.जे.-एल.ए/२०१८ / एन.एस.-१ दिनांक २८.११.२०१८ के द्वारा साइकिल वितरण के
सम्बन्ध में निम्नानुसार सशर्त सहमति प्रदान की गई है ।

"On the subject cited, and so State that the Commission has no objection from MCC
angle to the proposal for free distribution of Scooty & Laptop to meritorious student &
free distribution for bicycle to the 9th class Girl Student of the state, subject to
following conditions:- "

- i. इन योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं करना है । (No undue publicity may be done.)
- ii. समस्त वितरण सिर्फ सिविल सेवकों द्वारा ही कराया जाना है । (The distribution shall be done
by civil servants.)
- iii. राजनीतिक भाषणों में इनका उल्लेख न हो । (No mention of the same may be made in any
political speech.) and
- iv. किसी पार्टी विशेष को राजनीतिक फायदा न हो । (No political mileage may be drawn from
it.)

(2)

अतः शिक्षा (ग्रुप-१) विभाग, राजस्थान-सरकार के पत्र दिनांक 29.11.2018, निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28.11.2018 के द्वारा दिये गये निर्देशों एवं इस कार्यालय द्वारा साईकिल वितरण के सम्बन्ध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए साईकिल वितरण की कार्यवाही 05 दिवस के अन्दर सुनिश्चित करावें। इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सम्बन्धित नोडल केन्द्र/विद्यालयों के प्रभारियों को अपने स्तर पर पाबन्द कर साईकिल वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रतिदिन जिले की साईकिल वितरण की प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय के ई. मेल आई.डी caosecedu@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:— 01

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 29.11.2018

क्रमांक:— शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28011/18-19

प्रतिलिपि :—

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त परिक्षेत्र को प्रति पृष्ठांकित कर निर्देश दिये जाते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा साईकिल के वितरण के बारे में जारी उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद कर साईकिल वितरण की कार्यवाही 05 दिवस के अन्दर सुनिश्चित की जावे। अपने अधीनस्थ जिलों के साईकिल वितरण की समेकित रिपोर्ट प्रतिदिन इस कार्यालय के ई. मेल आई.डी caosecedu@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा (युप-1) विभाग
क्रमांक एफ. 1(7)शिक्षा-1 / 2009 पार्ट 4

Sr. A.O. (D-2)
आज ही सभी SEO SEE (HQ.)
जूलाई को १८ वाह में देखा जाएगा (UPY) JD (All)
जयपुर, दिनांक 29/11/2018
29/11

निर्देशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- मेधावी विद्यार्थियों/छात्राओं को निःशुल्क साइकिल, रक्कटी एवं लेपटॉप
वितरण किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28011-13/1819 दिनांक 26.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में भारत निर्वाचन विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 437/आरजे-एलए/2018/एनएस-1 दिनांक 28.11.2018 से निम्नानुसार निःशुल्क साइकिल, रक्कटी एवं लेपटॉप वितरण किए जाने के सम्बन्ध सर्वानुमति प्रदान की गई है : -

On the subject cited, and so state that the commission has no objection from MCC angle to the proposal for free distribution of Scooty & Laptop to meritorious student & free distribution of bicycle to the 9th Class Girl student of the State, subject to following conditions:-

- i. No undue publicity may be done.
- ii. The distribution shall be done by civil servants.
- iii. No mention of the same may be made in any political speech, and
- iv. No political mileage may be drawn from it.

अतः निर्वाचन विभाग राजस्थान के पत्र (संलग्न) एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28.11.2018 (संलग्न) कर लेख है कि पत्र में दिए गए निर्देशों की पालना रुग्णिश्वत करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

११.११.२०१८
(प्रदीप गोयल)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन रायिव, रक्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, रक्कूल शिक्षा।
6. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान सरकार।
7. उप निर्देशक (सार्विकी), शिक्षा (युप-1) विभाग;
8. रक्षित पत्रावली (रक्कटी, साइकिल व लेपटॉप)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा / माध्य / लेखा / डी-2 / 28013 / 18-19

दिनांक: 29.11.2018

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक मुख्यालय ।

अति-आवश्यक

विषय:- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण के सम्बन्ध में
दी गई सहमति के अनुसार वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में ।
प्रसंग :- राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) पत्रांक एफ. 1(7) शिक्षा-1/2009 पार्ट-4 दिनांक
29.11.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) पत्रांक एफ. 1(7)
शिक्षा-1/2009 पार्ट-4 दिनांक 29.11.18 के क्रम में निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (1)
(15)1/निर्वा/2018/11437 जयपुर दिनांक 28.11.2018 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा
अपने पत्र क्रमांक- 437/आर.जे.-एल.ए/2018 /एन.एस.-1 दिनांक 28.11.2018 के द्वारा निःशुल्क स्कूटी
वितरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार सशर्त सहमति प्रदान की गई है ।

"On the subject cited, and so State that the Commission has no objection from MCC angle to the proposal for free distribution of Scooty & Laptop to meritorious student & free distribution for bicycle to the 9th class Girl Student of the state, subject to following conditions:- "

- i. इन योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं करना है । (No undue publicity may be done.)
- ii. समस्त वितरण सिर्फ सिविल सेवकों द्वारा ही कराया जाना है । (The distribution shall be done by civil servants.)
- iii. राजनैतिक भाषणों में इनका उल्लेख न हो । (No mention of the same may be made in any political speech.) and
- iv. किसी पार्टी विशेष को राजनैतिक फायदा न हो । (No political mileage may be drawn from it.)

(2)

अतः शिक्षा (ग्रुप-१) विभाग, राजस्थान-सरकार के पत्र दिनांक 29.11.2018, निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28.11.2018 के द्वारा दिये गये निर्देशों एवं इस कार्यालय द्वारा स्कूटी वितरण के सम्बन्ध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए स्कूटी वितरण की कार्यवाही 05 दिवस के अन्दर सुनिश्चित करावें। इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सम्बन्धित नोडल केन्द्र/विद्यालयों के प्रभारियों को अपने स्तर पर पाबन्द कर स्कूटी वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रतिदिन जिले की स्कूटी वितरण की प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय के ई. मेल आई.डी caosecedu@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- 01


(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28013/18-19

दिनांक: 29.11.2018

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त परिक्षेत्र को प्रति पृष्ठांकित कर निर्देश दिये जाते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्कूटी के वितरण के बारे में जारी उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद कर स्कूटी वितरण की कार्यवाही 05 दिवस के अन्दर सुनिश्चित की जावे। अपने अधीनस्थ जिलों के स्कूटी वितरण की समेकित रिपोर्ट प्रतिदिन इस कार्यालय के ई. मेल आई.डी caosecedu@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Sr. A.O. (P-2)
 राजस्थान सरकार
 शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग
 क्रमांक एफ. 1(7)शिक्षा-1/2009 पार्ट 4
 अधिकारी
 माध्यमिक शिक्षा,
 राजस्थान, बीकानेर।
 इलाज की लाई डॉ सु (Hq.)
 इलाज की लाई डॉ सु (Copy) JD (A)
 जयपुर, दिनांक : 29/11/2018
 29/11/2018

राजस्थान सरकार
 शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग
 क्रमांक एफ. 1(7)शिक्षा-1/2009 पार्ट 4

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- मेधावी विद्यार्थियों/छात्राओं को निःशुल्क साइकिल, स्कूटी एवं लेपटॉप वितरण किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28011-13/1819 दिनांक 26.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में भारत निर्वाचन विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 437/आरजे-एलए/2018/एनएस-1 दिनांक 28.11.2018 से निम्नानुसार निःशुल्क साइकिल, स्कूटी एवं लेपटॉप वितरण किए जाने के सम्बन्ध सशर्त सहमति प्रदान की गई है :-


On the subject cited, and so state that the commission has no objection from MCC angle to the proposal for free distribution of Scooty & Laptop to meritorious student & free distribution of bicycle to the 9th Class Girl student of the State, subject to following conditions:-

- No undue publicity may be done.
- The distribution shall be done by civil servants.
- No mention of the same may be made in any political speech, and
- No political mileage may be drawn from it.

अतः निर्वाचन विभाग राजस्थान के पत्र (संलग्न) एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28.11.2018 (संलग्न) कर लेख है कि पत्र में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


 (प्रदीप गोयल)
 29/11/2018

शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
- निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
- संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान सरकार।
- उप निदेशक (सारिव्यकी), शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग ;
- रक्षित पत्रावली (स्कूटी, साइकिल व लेपटॉप)